


हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

क्रमांक: हि०शि०बो०(31)/HPSOS Workshop/2019/ SOS Admin / 14957-970 दिनांक: 22.01.2020

“अधिसूचना”

अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छात्र हित में यह निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के अन्तर्गत दसवीं और जमा दो कक्षाओं की विशेष अंक सुधार की परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने अपनी कक्षा सत्र, 2009 से पूर्व उत्तीर्ण की है उन्हें प्रायोगिक विषय के Theory के साथ Practical में भी परीक्षा देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था मार्च, 2020 से होने वाली परीक्षा के लिए लागू होगी।

उक्त अधिसूचना को पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना संख्या क्रमांक: हि० शि० बो०(31)114वीं बोर्ड बैठक/मद 08/2019/6801-6990 दिनांक:- 31-07-2019 में क्रम संख्या 14 पर दर्शाया जाना है।



सचिव (हि० प्र० प्रो०)

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि

दिनांक:- 22.01.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

- 1) विशेष निजी सचिव माननीय अध्यक्ष, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
- 2) निजी सहायक माननीय सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
- 3) अतिरिक्त सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
- 4) संयुक्त सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
- 5) समस्त उप-सचिव/सहायक सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
- 6) अनुभाग अधिकारी IT Cell को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करवाएं।
- 7) अनुभाग अधिकारी सामान्य शाखा को इस आशय सहित प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचना को आगामी बोर्ड की बैठक में सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत करें।
- 8) लोक सम्पर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
- 9) समस्त अनुभाग अधिकारी, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
- 10) प्रदेश में स्थापित हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के समस्त समन्वयकों/सहायक समन्वयकों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना अनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाएं।


सचिव (हि० प्र० प्रो०)